क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर–बिलासपुर एन.एच.–200 को 04/06 लेनिंग करने के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में दिनांक 30.04.2011 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर–बिलासपुर एन.एच. –200 को 04/06 लेनिंग (दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परियोजना मार्ग) करने के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई की तिथि 30.04.2011 निर्धारित कर समाचार पत्रों दैनिक नवभारत, रायपुर दिनांक 26.03.2011 संशोधन सूचना दिनांक 29.03.2011 एवं टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 26.03.2011 संशोधन सूचना दिनांक 29.03.2011 के प्रकाशन में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। ई.आई.ए.अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग, ग्राम पंचायत नांदघाट, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत अकोली, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत चिचोली, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत टेमरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत घुरसेना, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत दर्री, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत नारायणपुर, जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं.–3, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय 1–तिलक नगर, शिव मंदिर चौक, मेन रोड अवन्ती विहार रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 30.04.2011 दिन शनिवार दोपहर 1.15 बजे श्री एस. प्रकाश, अपर कलेक्टर, जिला– दुर्ग की अध्यक्षता में विश्राम गृह नांदघाट के समीप, ग्राम–नांदघाट, तहसील नवागढ़, जिला–दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। सर्वप्रथम श्री ए0 सी0 मालू, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के 13 किमी. की दूरी जो दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है, के संबंध में सामान्य जानकारी दी गई। इसके पश्चात् प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि श्री सोमेश बांजल, प्रबंधक तकनीकी, राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा दुर्ग जिले में प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी के साथ ही प्रस्तावित परियोजना संबंधी विवरण

एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाने हेतु वृक्षारोपण के प्रस्ताव आदि से जन सामान्य को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित जन समुदाय से एन.एच.–200 को 04/06 लेनिंग करने के संबंध में पर्यावरणीय सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से निम्नलिखित लोगों द्वारा प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई :–

1. **श्री नाथूराम, नांदघाट, जिला–दुर्ग।**
- मेरा खेत हाइवे निर्माण में दब रहा है।
- हमारी रोजी रोटी का क्या होगा ?

2. **श्री साधराम रात्रे, नारायणपुर जिला–दुर्ग।**
- घर रोड के किनारे पर स्थित है। रोड बनने से मेरी 90 फीट जमीन चली जायेगी।
- मेरे पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है।
- नारायणपुर से टेमरी के बीच के सभी पेड़ कटेंगे इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा।

3. **श्री तिरथराम वर्मा, सरपंच, ग्राम–दर्री जिला–दुर्ग।**
- दोनों तरफ के पेड़ कटंगे तो निश्चय ही पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसके लिये इसके दुगने पेड़ लगाये जायें।

4. **श्रीमती कमला बाई, नारायणपुर जिला–दुर्ग।**
- भाई के साथ रहती हूं, भाई का मकान जो रोड पर निकलेगा।
- उसकी जमीन का कुछ मुआवजा दिया जाये तथा कहीं और जमीन दी जाये।

5. **श्री कमल साहू, टेमरी जिला–दुर्ग।**
- पेड़ पौधे कटने से पर्यावरण को नुकसान होगा।
-

6. **श्री कृष्णा ठाकुर , सरपंच नांदघाट, जिला–दुर्ग।**
- लिमतरा से खपरी तक सीधा पुल बने तथा उसके नीचे जानवरों को चरने के लिये चारगाह बने रहने दिया जाये। घास उगने में 10 वर्ष लग जाते हैं। लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सुनवाई के दौरान मुआवजे की मांग के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कि सीमांकन के उपरांत शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा सभी प्रभावितों को दिया जायेगा। तत्पश्चात् लोक सुनवाई के दौरान पर्यावरण के संबंध में प्राप्त सुझाव, विचार एवं आपत्तियों के परिपेक्ष्य में उद्योग का पक्ष रखने हेतु परियोजना प्रबंधन को निर्देशित किया गया। परियोजना के

प्रतिनिधि श्री सोमेश बांजल, प्रबंधक तकनीकी द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव, विचार व आपत्तियों का परियोजना के तरफ से पक्ष रखा गया/समाधान किया गया जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ वृक्षारोपण के संबंध में आपकी चिंता सराहनीय है।
- ❖ 32000 पेड़ों को काटे जाने से इसके तीन गुना वृक्षारोपण किया जावेगा।
- ❖ प्रबंधन द्वारा रख रखाव भी उचित ढंग से रखा जावेगा।.
- ❖ मिट्टी की जांचकर विशेषज्ञों द्वारा कांटे गये पेड़ों के तिगुने वृक्षों का रोपण किया जायेगा।
- ❖ ग्राम के आसपास रहने वाले लोगों को इससे लाभ मिले।
- ❖ जमीन/मकान के संबंध में पटवारी द्वारा निरीक्षण कर मुआवजा शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दी जावेगी।
- ❖ मकान कच्चा/पक्का है इसका मूल्यांकन किया जाकर उचित मुआवजा दिया जावेगा।
- ❖ मुआवजा राशि पर आपत्ति होने पर आरबीटेटर बनाकर इसका सही सुनवाई कर निर्धारण किया जावेगा।
- ❖ भारत शासन/राज्य शासन का प्रमुख उद्देश्य है ''सड़का का चौड़ीकरण''। स्वतंत्र आवगामन के लिये 7 मीटर बनाई जावेगी जिससे किसी भी जन सामान्य को असुविधा न हो और भारी वाहन/छोटे वाहन गंतव्य स्थल तक पहुंच जावे। मुख्य मार्ग के साथ स्थानीय आवागमन के लिये सर्विस रोड बनाई जायेगी तथा सुविधा हेतु अण्डर पास बनाया जायेगा।
- ❖ इस हेतु विशेष कंसलटेंट का सहयोग लिया गया है।
- ❖ शिवनाथ नदी के पुल की लंबाई के संबंध में यदि हमारे सलाहकार द्वारा सलाह दी जायेगी तो पूरा लंबा पुल लिमतरा से खपरी तक बनाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों में से कुल 44 लोगों से हस्ताक्षर लिये गये। लोक सुनवाई के अंत में श्री ए0 सी0 मालू , क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया गया।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा दोपहर 2.15 बजे की गई।

(ए0 सी0 मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(एस. प्रकाश)
अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग